

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल,  
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,  
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,  
वाराणसी।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.4.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सबीर अंसारी पिता-मो० मुमताज अंसारी ग्राम-बीयरबांध पोस्ट-डुमरी शाहपुर थाना-शिव सागर जिला-रोहतास हौस्पिटल नं०-7116/14	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	हरि नारायण पिता-स्व० सिगु राम ग्राम-अमाढ़ी पोस्ट-सैथा थाना-सोनहन जिला-भभुआ कैमुर हौस्पिटल नं०-सी.एम.एल-807/14	कैंसर रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	बबन्ती देवी पति-रास नारायण तिवारी ग्राम-पो०-मधुबनी थाना-संग्रामपुर जिला-पूर्वी चम्पारण हौस्पिटल नं०-899/14	गंभीर रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,10,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,10,000/- ( एक लाख दस हजार ) रुपये का क्रास चेक सं०.....  
.....850013.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-


(डा0 राजधारी रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 531 (14)

पटना, दिनांक - 6-5-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
S.S.15

सं० सं० 14/एम 11-1/14  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान  
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.4.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मनोज कुमार पिता-स्व. गणेश प्रसाद ग्राम-काँटी कोठीया पोस्ट+थाना- काँटी जिला-मुजफ्फरपुर सी.आर नं०-2013282001	किडनी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	संतोष कुमार पिता-राम अशीष तिवारी ग्राम-तिवारी खरेयों पो०-करबतही बाजार थाना-गोपालपुर जिला-गोपालगंज सी.आरनं०-2003054340	किडनी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	राम किशुन कुमार पिता-राम नरेश चौहान ग्राम-अमरपुर पोस्ट-बड़ी गुलानी थाना-पकरी बरौवा जिला-नवादा सी.आर नं०-2014828950	किडनी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	श्रीमती देवी पति-सुरेन्द्र कुमार सिंह ग्राम-अतरौली पोस्ट-पूर्णाडीह थाना-ओबरा जिला-औरंगाबाद सी.आर नं०-2014774305	कैंसर रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,75,000/-

